

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 407/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.10.2026

- ☐ जनपद आजमगढ़ की साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड के 03 मामलों में पीड़ितों को राहत।
- ☐ थाना फूलपुर एवं रौनापार की साइबर टीम ने कुल ₹12,043 की धनराशि पीड़ितों के खातों में वापस कराई।
- ☐ साइबर फ्रॉड की ₹47,059.35 की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड, शेष धनराशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित।

घटना का विवरण एवं पुलिस की कार्यवाही—

जनपद आजमगढ़ के थाना फूलपुर एवं रौनापार की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के तीन मामलों में पीड़ितों को राहत प्रदान की गई है। संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर कुल ₹47,059.35 की धनराशि होल्ड कराई गई तथा इसमें से ₹12,043 पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराए गए।

1. थाना फूलपुर— दिनांक 16.10.2026 को आवेदक आकाश बिन्दु पुत्र राम सजावन बिन्दु, निवासी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी रुपये भेजने का मैसेज भेजकर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से ₹3,043 का साइबर फ्रॉड किया गया। आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराई गई। थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क द्वारा संबंधित बैंक को नोटिस भेजकर धनराशि होल्ड कराई गई तथा बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि ₹3,043 आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

2. थाना रौनापार— कम दाम में सोना एवं आईफोन दिलाने का लालच देकर आवेदिका से दिनांक 14.04.2026 को ₹69,000 की साइबर ठगी की गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर ₹19,830.76 की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड कराई गई। इसमें से ₹4,000 आवेदिका के खाते में MRM पोर्टल के माध्यम से वापस कराए गए। शेष धनराशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

3. थाना रौनापार— स्पीड पोस्ट शीघ्र पहुंचाने के नाम पर लिंक भेजकर आवेदिका के मोबाइल को हैक कर दिनांक 11.02.2026 को उसके खाते से ₹81,155 की धनराशि निकाल ली गई थी। शिकायत पर थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर ₹27,225.59 की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड कराई गई। इसमें से ₹5,000 दिनांक 23.10.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के खाते में वापस कराए गए। शेष होल्ड धनराशि वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर पुलिस टीम—

थाना फूलपुर एवं थाना रौनापार की साइबर टीम, जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़

□ थाना बरदह पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई, 27 लीटर शराब के साथ महिला गिरफ्तार।

□ अभियुक्ता के कब्जे से 135 पाउच अवैध देशी शराब बरामद, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज।

घटना का विवरण एवं पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 23.10.2026 को उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर थाना बरदह पुलिस द्वारा ग्राम महुजा नेवादा में अपने घर के सामने अवैध रूप से देशी शराब बेच रही महिला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता की पहचान मंशा देवी पत्नी विनोद कुमार, निवासी ग्राम महुजा नेवादा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष के रूप में हुई। जिसके आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 334/2026, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्ता के कब्जे से 135 पाउच अवैध देशी शराब, ब्रांड विन्डीज लाइम, प्रत्येक 200 मिलीलीटर, कुल मात्रा 27 लीटर बरामद की गई।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 334/2026, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 220/2018, धारा 323 भादवि, थाना बरदह, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 334/2026, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बरदह, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमाशंकर सिंह
2. हे0का0 संतोष कुमार
3. म0आ0 संजू, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

□ एमएलसी चुनाव के मद्देनजर शराबबंदी के दौरान अवैध रूप से देशी शराब बेचने जा रहे 02 सेल्समैन गिरफ्तार।

□ 51 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब, बिक्री के ₹520 नकद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण एवं पुलिस कार्यवाही-

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत शराबबंदी के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 23.10.2026 को चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बावन बीघा मैदान, शहीदनगर इस्लामपुरा के पास से दो अभियुक्तों को अवैध देशी शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संजय चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान, निवासी प्यारेपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।
2. प्रेम चन्द पुत्र मुन्नीलाल, निवासी प्यारेपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे शराब की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करते हैं। चुनाव के कारण शराब की दुकानें बंद होने का फायदा उठाकर वे रोडवेज स्थित देशी शराब की दुकान से शराब लाए थे तथा मोटरसाइकिल पर बोरी में रखकर बम्हौर एवं अन्य स्थानों पर ऊंचे दामों में बेचने जा रहे थे। शराब बिक्री से प्राप्त लाभ को आपस में बराबर बांट लेते थे। अभियुक्त संजय चौहान ने पूर्व में भी अवैध शराब बिक्री के मामले में पकड़े जाने की बात बताई। रोडवेज स्थित देशी शराब की दुकान की संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 51 टेट्रा पैक विन्डीज लाइम मसाला देशी शराब, प्रत्येक 200 मिलीलीटर।
2. ₹520 नकद, शराब बिक्री से प्राप्त।
3. एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस, वाहन संख्या UP 54 BF 3347, जिसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 376/2026, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संजय चौहान के विरुद्ध मु0अ0सं0 140/2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर।
2. हे0का0 भानू पाण्डेया।
3. का0 रमाकान्त यादव।
4. का0 नन्दलाल कुशवाहा।
5. का0 सतेन्द्र यादव।
6. का0 कुलदीप सरोज, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

